न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 117/2017 राजस्व अपील

1. बाबूलाल पुत्र मुरलीनाथ जाति जोगी निवासी गुजर सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश योग्य अधिनस्थ नायब तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा दिनांक 10.11.2017 प्रकरण संख्या 26/2017 अ.धारा 91 रा.भू.रा. अधि. अ. धारा 75 राज.भू.रा. अधिनियम

उपस्थिति : श्री बृजमोहन गौड, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 27.11.2017

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम मीणा सीमला तहसील सिकराय में ओमप्रकाश चौधरी ने आबादी भूमि से 439 वर्गगज का पटटा ग्राम पंचायत मीणा/सीमला पंचायत समिति सिकराय से दिनांक 05.10.04 को 6585/– रूपये नजराना भुगतान कर प्राप्त किया था। पटटाधारी ओमप्रकाश एवं बाबूलाल ने पटटा शुदा भूमि को दिनांक 14.06.16 को श्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नि बाबूलाल को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र बेचना कर दिया व पटटा शुदा भूमि पर निर्माण कार्य करवाया हुआ है। पटटा शुदा भूमि पर श्री श्री ओमदास आश्रम बना हुआ है, जिसमें यात्री निवास करते है। पटटा गृहितागण के नाम ग्राम पंचायत द्वारा प्रचलित पटटा का असमलेख ग्राम पंचायत सचिव श्रीमति सुमन मीणा के पास से चोरी हो गया, जिसके सम्बन्ध मे प्रथम सूचना प्रतिवेदन संख्या 87/2012 पुलिस थाना महन्दीपुर मे दिनांक 28.06.12 को उपस्थित किया गया जिस पर अन्तिम प्रतिवेदन लगाया गया दिनांक 2208.12 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सिकराय द्वारा एफ.आर स्वीकार हुई। तहसीलदार सिकराय ने केती श्रीमति लक्ष्मीदेवी द्वारा आश्रम के निर्माण के दौरान वर्तमान भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 193/2 में से 1 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में अपीलान्ट के नाम सूचना पत्र प्रेषित किया और खसरा नं. 193/2

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

को चारागाह भूमि बताया गया। अपीलान्ट ने अपना उत्तर अन्तर्गत धारा 91(6) रा.भू.रा. अधिनियम का तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किया। जिसपर पटवारी के प्रतिवेदन के बाद दिनांक 17.02.16 को निरस्मत फरमाया गया। पटवारी द्वारा कोई अतिक्रमण नही होना बताकर प्रतिवेदन पेश किया गया। ग्राम मीणा सीमला में बाद भू–प्रबन्ध चारागाह भूमि व आबादी भूमि के खसरा नं. परिवर्तित हुए तथा चारागाह भूमि में खसरा नं. 275 एवं आबादी भूमि के खसरा नं. 260 बनाये गये। आश्रम निर्माण हो जाने के डेढ वर्ष बाद पटवारी हल्का ने दिनांक 18.10.17 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय के समक्ष संवत् 2074 में खसरा नं. 275 रकबा 1.15 है0 भूमि के 1 एयर भू–भाग पर पुख्ता निर्माण कर कब्जा (गेस्ट हाउस) का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। तहसीलदार सिकराय ने अपीलान्ट को दिनांक 03.11.17 को तलब किया। अपीलान्ट ने तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर अपना उत्तर प्रस्तुत कर निर्माण पटटा शुदा भूमि पर होने का निवेदन किया और कार्यवाही ड्राप करने की प्रार्थना की किन्तु तहसीलदार द्वारा दिनांक 10.11.17 को प्रश्नगत आदेश अपीलान्ट को बेदखल करने व 12 रूपये शास्ति जमा कराने के आदेश फरमाये है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त प्रश्नगत आदेश दिनांक 10.11.17 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का ने गेस्ट हाउस निर्माण कर अमिक्रमण करने के लिए अपीलान्ट के विरूद्ध सूचना पत्र जारी किया है जबकी गेस्ट हाउस अपीलान्ट का नही है। अपीलान्ट की पत्नि श्रीमति लक्ष्मी देवी की सम्पति है जो आबादी भूमि पटटा शुदा में बना हुआ है। गेस्ट हाउस सन् 2004 से बना हुआ है। सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है। तहसीलदार द्वारा गेस्ट हाउस को आबादी भूमि पर नही मानकर राजकीय भूमि पर माना है। 1 एयर भूमि का क्षेत्रफल 100 मीटर बनता है। आबादी भूमि पर पटटा ग्राम पंचायत द्वारा 439 वर्गगज का दिनांक 05.10.04 को प्रचलित किया गया है। उक्त भूमि को लक्ष्मी देवी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.03.16 को क्रय किया है। प्रश्नगत आदेश मौके की स्थिति के विपरित फरमाये जाने के कारण खण्डनीय है। गेस्ट हाउस 100 वर्गमीटर पर नही बल्कि 367.57 वर्गमीटर पर बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा आराजी खसरा नं. 275 वाके ग्राम मीणा सीमला के भू–प्रबन्ध से पूर्व खसरा नं. 193/2 के 1 बिस्वा पर अपीलान्ट का अतिक्रमण बताकर दिनांक 23.09.13 को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया पुनः

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

26.09.13 को प्रकरण सं. 777/13 में नोटिस अन्तर्गत धारा 91(6) जारी किया गया जो दिनांक 17.02.16 को निरस्त कर कार्यवाही ड्राप की गई। दिनांक 17.02.16 के आदेश के बाद दिनांक 10.11.17 का आदेश अपीलान्ट को परेशान कर अनुचित रूप से लाभ उठाने का प्रयास है। खसरा नं. 275 चरागाह व खसरा नं. 260 आबादी भूमि पास पास है। आबादी भूमि का स्वामित्व ग्राम पंचायत को प्राप्त है। सीमाज्ञान के समय ग्राम पंचायत के सरपंय या पटटा शुदा भूमि के मालिका को कोई सूचना पत्र नही दिया गया। प्रश्नगत आदेश माप के आधार पर है तो गेस्ट हाउस का कौनसा भाग अतिक्रमित है वर्णित नही किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 10.11.17 निरस्त फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मीणा सीमला तहसील सिकराय में स्थित राजकीय भूमि खसरा नं. 275 कुल रकबा 1.15 है0 किस्म गैर मुमकिन विश्रान्तिगृह मे से 0.01 है0 पर गेस्ट हाउस बनाकर कब्जा करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं लगान का 50 गुना शास्ति राशि आरोपित करने के आदेश दिनांक 10.11.17 को पारित किये गये है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गेस्ट हाउस के वास्तविक मालिक श्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नि बाबूलाल जोगी को अमिक्रमण बाबत नोटिस नही दिया गया है तथा अतिक्रमण किस भाग पर किया गया है। यह स्थिति स्पष्ट नही की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रकरण में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 10.11.17 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वास्तविक अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर अपीलान्ट की उपस्थिति में प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान कराया जाकर एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिक

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

प्रकिया का पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा
दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा
दौसा